

60

निगरानी प्रकरण क्र. : ...../2013

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

मध्यप्रदेश के समक्ष

R-3558-II/13

श्रीमती जमना जोशी पति श्री नरेन्द्र कुमार जोशी  
निवासी-301, गुजरात भवन, 1/1, स्नेहलतागंज,  
इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थिनी

विरुद्ध

1. पटवारी हल्का नम्बर 35, श्रीमती सुमन शर्मा  
तहसील सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)
2. श्रीमान अपर कलेक्टर, इन्दौर  
जिला इन्दौर (म.प्र.)  
प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,  
इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक  
07/अपील/2011-12 में दिनांक 04/09/2012 को पारित आदेश  
से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत  
है:-





राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3558-दो/13

जिला इंदौर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर   |
|------------------|---|--|
| 23-1-2019        | <p>आवेदिका की ओर से श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । अनावेदक को सूचना दिया जाये ।</p> <p><br/>अध्यक्ष</p> | <p><br/>अध्यक्ष</p> |